

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं- 16/2021 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 जून, 2021

सां. आ.... (अ) – केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जून, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 112 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. सीबीआईसी -20001/5/2021]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार